# षोडश बिहार विधान सभा

## चतुर्थ सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.11.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स०<br>श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स०<br>श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स०<br>श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स०<br>श्री लाल बाबू प्र० गुप्ता, स०वि०स०<br>श्री राणा रणधीर, स०वि०स०<br>श्री रामचन्द्र सहनी, स०वि०स० | ''गाँधी सेतु, उत्तर बिहार के लिए लाईफ-लाईन का काम करती है । इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से लाखों लोगों को प्रतिदिन भयंकर जाम का सामना करना पड़ता है जिससे समय की बर्बादी होती है तथा कई आवश्यक काम छूट जाते हैं । पुल में पटना से निकलने के तरफ का बाँया लेन लगभग 15 सौ फीट में टूट गया है जिसका निर्माण कार्य बन्द है । सिर्फ एक लेन चालू रहने से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । पुल का शीघ्र निर्माण अत्यावश्यक है ।<br><br>अत: पुल के क्षतिग्रस्त हिस्सा का शीघ्र निर्माण कराकर जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।" | पथ निर्माण |

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | श्री यदुवंश कुमार यादव, स०वि०स० | "बिहार राज्य में भारी वाहन चालकों के अनुज्ञप्ति पर रोक लगे रहने के कारण दूसरे राज्यो से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में उन्हें भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । योग्य चालक अनुज्ञप्ति के अभाव में रोजगार पाने से वंचित है तथा सरकार को अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में अनुमान्य राजस्व की भी क्षति हो रही है । अतः भारी वाहन चालकों के अनुज्ञप्ति पर लगे रोक को शीघ्र हटाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।" | परिवहन |

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/16-3462-3472 / वि०स०, पटना, दिनांक-25 नवम्बर, 2016 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग तथा परिवहन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.11.16

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/16-3462-3472 / वि०स०, पटना, दिनांक-25 नवम्बर, 2016 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

25.11.16

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

25/11/16